GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Energy Department

No. F. 23(3)Energy/2015 Jaipur, Dated 21 MAR 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 180 of the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title commencement and applicability.- (1) These rules may be called the Rajasthan Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors (Powers and Functions) Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

(3) These rules shall apply to the whole of the State of Rajasthan in respect of any electrical work or electrical installations other than the works installations belonging to or under the control of the Central Government.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003);

(b) "Appellate Authority" in respect of an appeal against the order of Senior Electrical Inspector or Electrical Inspector or Assistant Electrical Inspector, means the Chief Electrical Inspector and in respect of an appeal against the order of the Chief Electrical Inspector means the Government of Rajasthan;

(c) "Inspector" means Senior Electrical Inspector, Electrical Inspector and Assistant Electrical Inspector of the Electrical Inspectorate Department of Government of Rajasthan; and

(d) "Regulation" means the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Powers of the Chief Electrical Inspector and Inspectors.- The Chief Electrical Inspector and Inspector shall have the powers to inspect all the electrical works and electrical installations in the area in respect of which, the Chief Electrical Inspector and Inspectors have been directed by the Government to exercise the powers and perform the functions under sub-section (1) of section 162 of the Act and under regulation 30 and regulation 43 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

4. Officers to assist the Chief Electrical Inspector and Inspectors.- The Chief Electrical Inspector and Inspectors may be assisted by such officers, as may be appointed by the Government, from time to time.

5. Powers of entry and inspection.- (1) The Chief Electrical Inspector or Inspectors or any officer appointed to assist the Chief Electrical Inspector and Inspectors under rule 4 of these rules may enter, inspect and examine any place, carriage or vessel in which he has reason to believe that there is any appliance or apparatus used in the generation, transmission, transformation, conversion, distribution or use of energy and may carry out test therein.

(2) Every licensee, consumer, owner and occupier shall afford at all times all reasonable facilities to any such Inspector or officer to make such examinations and test as may be necessary to satisfy himself as to the due observance of the safety regulations as specified by the Central Electricity Authority in relevant regulations.

(3) Every licensee and every owner of a generating station shall, if required so to do by an Chief Electrical Inspector or an Inspector or any officer appointed to assist him, provide reasonable means for carrying out all tests, specified under the Act or regulations made thereunder, of the appliances or apparatus used for the supply or use of energy by him, as the case may be.

(4) Chief Electrical Inspector or an Inspector may serve an order of such inspection to any licensee, consumer, owner or occupier, directing him to comply with the specified rule or regulation and the person so served shall thereupon comply with the order within a period of 45 days, and report it in writing to the Inspector:

Provided that, if within the period specified in the aforesaid order, an appeal is filed against the order by the person on whom such order has been served, the appellate authority may suspend the operation of the order pending the decision of the appeal.

(5) In the event of the failure of the owner of any installation to rectify the defects in the installation, pointed out by the Inspector or by any officer appointed to assist him, within the period as specified in this rules, such installation shall be liable to be disconnected under the directions of the Inspector after serving upon the owner of such installation a notice of not less than seven days:

Provided that the installation shall not be disconnected in case an appeal is made against the notice within the period specified above and the appellate authority has suspended its operation pending the decision of the appeal.

(6) The inspection, after receiving intimation from the owner about the rectification of defects, shall be carried out by at least two Inspectors, provided for the electrical installations with voltage upto the notified voltage, if the self-certificate is issued by the Owner in assistance of Chartered Safety Engineer regarding the rectification of defects than no further inspection is required by Inspectors.

(7) Notwithstanding anything contained in these rules, the consumer shall at all times be solely responsible for the maintenance of his installation in such condition as to be free from danger.

6. Submission of records.- The Chief Electrical Inspector or an Inspector or any officer appointed to assist him may require a licensee or an owner to submit any records of tests made in connection with his electrical works. The licensee or owner shall comply with such requisition.

7. List of consumers.- The Chief Electrical Inspector or an Inspector or any other officer appointed to assist him may require the licensee to submit a list of all persons to whom he supplies energy, the addresses at which the energy is supplied, the date of connecting services, the voltage of supply, the connected load and the purpose of supply and the name of contractor carrying out the installation work. The licensee shall be bound to provide the required information.

8. Fees of inspection and other services.- (1) The fee for testing and inspection and generally for the services of Inspectors or any other officer appointed to assist him shall be such as may be specified by the Government, from time to time.

(2) Fee for every inspection under the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010 shall be payable by the owner of the installation in advance and in the event of failure of payment of fee the electric supply to such installation shall be liable to be disconnected under the direction of the Inspector. Such disconnection, however, shall not be made by the licensee without giving to the consumer seven clear days notice in writing of his intention to do so.

9. Appeal.- (1) An appeal, against an order served by the Chief Electrical Inspector or an Inspector under these rules, shall lie to Appellate Authority.

(2) Every appeal made under sub-rule (1) shall be in writing and be accompanied by a copy of the order appealed against and shall be preferred within three

months from the date on which such order has been served or delivered, as the case may be.

(3) An appeal shall be disposed off within ninety days from the date of receipt of the appeal

By order of the Governor,

(U.D. Khan)
Joint Secretary to Govt.
21/3/16

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
2- Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
3- Special Assistant, Hon"ble State Minister, Energy
4- Superintendent, Central Govt. Press, Jaipur with a request kindly get it published in extra ordinary gazette of Rajasthan Rajpatra.
5- Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
6- Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, New Delhi
7- PS to Pr. Secretary, Energy
8- Chairman & Managing Director, Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran/Utpadan Nigam Limited, Jaipur
9- Chairman & Managing Director, Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Jaipur
10- Managing Director, Jodhpur/Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited.
11- Secretary, Rajasthan Electricity Regulatory Commission, Jaipur
12- Managing Director, Rajasthan Renewable Energy Corporation, Jaipur
13- Sr. Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur. Kindly circulate it to all subordinate offfices.
14- Guard File.

Joint Secretary to Govt.

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

कमांक पं. 23(3) ऊर्जा/2015 **जयपुर, दिनांक** 21 MAR 2016

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) की धारा 180 की उप–धारा (2) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक (शक्तियां और कृत्य) नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगें ।

(3) ये नियम केन्द्रीय सरकार से संबंधित या के नियंत्रणाधीन संकर्म स्थापनों से भिन्न, किसी विद्युत संकर्म या विद्युत स्थापनों के संबंध में सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) अभिप्रेत हैं,

(ख) "अपील प्राधिकारी" से वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या सहायक विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में मुख्य विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है और मुख्य विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में राजस्थान सरकार अभिप्रेत हैं;

(ग) ''निरीक्षक'' से विद्युत निरीक्षणालय विभाग, राजस्थान सरकार का वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक और सहायक विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है; और

(घ) ''विनियम'' से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा–संशोधित, अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु प्रयुक्त किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. मुख्य विद्युत निरीक्षक और निरीक्षक की शक्तियां.– मुख्य विद्युत निरीक्षक और निरीक्षक को उस क्षेत्र, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक और निरीक्षकों को अधिनियम की धारा 162 की उप–धारा (1) के अधीन और समय–समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, समस्त विद्युत संकर्मों और विद्युत स्थापनों के निरीक्षण की शक्तियां होगी।

4. मुख्य विद्युत निरीक्षक और निरीक्षकों की सहायता के लिए अधिकारी.– मुख्य विद्युत निरीक्षक और निरीक्षकों की सहायता ऐसे अधिकारियों द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियुक्त किये जायें।

5. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां .– (1) मुख्य विद्युत निरीक्षक या निरीक्षक या इन नियमों के नियम 4 के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक या निरीक्षकों की सहायता के लिये नियुक्त कोई अधिकारी, किसी स्थान, गाड़ी या जलयान में प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें उसका विश्वास करने का कारण है कि वहां ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, रूपांतरण, संपरिवर्तन, वितरण या उपयोग के लिए कोई साधित्र या यंत्र उपयोग में लिया गया है और इस बारे में जांच कर सकेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता, स्वामी या अधिभोगी, किसी ऐसे निरीक्षक या अधिकारी को ऐसे परीक्षण और जांच करने के लिए सदैव समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध करायेगा जो सुसंगत विनियमों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उसका समाधान करने के लिए आवश्यक हो।

(3) किसी उत्पादन केन्द्र का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और प्रत्येक स्वामी, यदि मुख्य विद्युत निरीक्षक या निरीक्षक या उसकी सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा उससे ऐसी अपेक्षा की जाये, तो उसके द्वारा ऊर्जा के प्रदाय या, यथास्थिति, उपयोग के लिए प्रयुक्त उपस्करों या साधित्र की, अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त जांचों को करने के लिए युक्तियुक्त साधन उपलब्ध करवायेगा।

(4) मुख्य विद्युत निरीक्षक या कोई निरीक्षक किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता, स्वामी या अधिभोगी को विनिर्दिष्ट नियम या विनियम का अनुपालन करने के लिए उसे निर्देशित करते हुए ऐसे निरीक्षण का आदेश तामील कर सकेगा और वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार आदेश तामील किया गया है, 45 दिन की कालावधि के भीतर आदेश का पालन करेगा और निरीक्षक को लिखित में रिपोर्ट करेगा:

परन्तु यदि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर ऐसा आदेश तामील किया गया है, आदेश के विरुद्ध अपील फाइल कर दी जाती है तो अपील प्राधिकारी अपील के विनिश्चय के लंबित रहने के दौरान आदेश के प्रवर्तन को निलंबित कर सकेगा।

(5) निरीक्षक या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किसी स्थापन में बताये गये दोष, किसी स्थापन के स्वामी द्वारा इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सुधारने में असफल रहने की दशा में, सात दिन से अन्यून का नोटिस ऐसे स्थापन के स्वामी को तामील करने के पश्चात्, निरीक्षक के निदेशों के अधीन ऐसा स्थापन वियोजन के दायित्वाधीन होगा;

परन्तु स्थापन का उस दशा में वियोजन नहीं किया जायेगा जहां उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नोटिस के विरुद्ध कोई अपील की गयी है और अपील प्राधिकारी ने अपील के विनिश्चय के लंबित रहने के दौरान इसके प्रवर्तन को निलंबित कर दिया है।

(6) दोषों के सुधार के बारे में स्वामी से सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, अधिसूचित वोल्टेज तक वोल्टेज वाले विद्युत स्थापनों के लिए उपबंधित निरीक्षण कम से कम दो निरीक्षकों द्वारा किया जायेगा। यदि दोषों के सुधार के संबंध में चार्टर्ड सुरक्षा इंजीनियर की सहायता से स्वामी द्वारा स्वःप्रमाणन जारी किया जाता है तो निरीक्षकों द्वारा आगे और निरीक्षण अपेक्षित नहीं है।

(7) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता सदैव उसके स्थापन के रख–रखाव के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा ताकि यह खतरे से मुक्त रहे।

6. अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण.– मुख्य विद्युत निरीक्षक या निरीक्षक या उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अधिकारी किसी अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी से उसके विद्युत संकर्म के संबंध में किये गये परीक्षणों का अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेंगें।

7. उपभोक्ताओं की सूची.– मुख्य विद्युत निरीक्षक या निरीक्षक या उसकी सहायता के लिये नियुक्त कोई अन्य अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से उन समस्त व्यक्तियों की सूची जिनको वह ऊर्जा का प्रदाय करता है, पते जहां ऊर्जा प्रदाय की जाती है, सेवायें जोड़ने की तारीख, प्रदाय का वोल्टेज, संसक्त लोड और प्रदाय का प्रयोजन और स्थापन कार्य करने वाले संविदाकार का नाम प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आबद्ध होगा।

8. निरीक्षण और अन्य सेवाओं की फीस.– (1) परीक्षण और निरीक्षण के लिए और निरीक्षकों या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की सेवाओं के लिये सामान्यतः फीस ऐसी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिये फीस, स्थापन के स्वामी द्वारा अग्रिम रूप से संदेय होगी और फीस के संदाय में असफल रहने की दशा में, ऐसा स्थापन निरीक्षक के निदेश के अधीन विद्युत प्रदाय के वियोजन के दायित्वाधीन होगा। तथापि, ऐसा वियोजन

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, ऐसा किये जाने के अपने आशय का उपभोक्ता को स्पष्ट सात दिवसों का लिखित नोटिस दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

9. अपील.– (1) इन नियमों के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक या किसी निरीक्षक द्वारा तामील किये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अपील प्राधिकारी को की जायेगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन की जाने वाली प्रत्येक अपील लिखित में होगी और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की प्रति साथ होगी और उस तारीख से तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जायेगी जिसको ऐसा आदेश पारित या, यथास्थिति, परिदत्त किया गया था,

(3) कोई अपील, अपील की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटायी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(यू.डी. खान)
संयुक्त शासन सचिव
21/3/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधीसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाकर दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवावे।
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली
6. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण/उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर /अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर/अजमेर
11. सचिव, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर
12. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
13. वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधीनस्थ कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव